उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 95/2019/1090/92-2-19-51एम/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 16 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद सुलतानपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रिटिकल गैप्स योजनान्तर्गत सीताकुण्ड घाट के दाहिनी ओर कराये गये घाट के चौडीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य बिना सक्षम स्तर की लिखित स्वीकृति के कराये जाने की अनियमितता एवं लापरवाही हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-165/2018/2918/92-2-18-51एम/2018 दिनांक 20.11.2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत श्री जिलेदार खां, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति प्रखण्ड-संतकबीर नगर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ के पत्र दि0 10.04.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री जिलेदार खां को मौखिक सुनवाई का अवसर देने हेतु दि0 11-04-2019 को अपने कार्यालय में बुलाया गया। मौखिक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर विचार विमर्श के दौरान अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 11.04.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पूर्व में दिये गये बचाव उत्तर दिनांक 09.04.2019 के अतिरिक्त कुछ नही कहना है। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ के द्वारा नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये अपने पत्र सं0-121/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0/अधि0अभि0/18-19 दिनांक 11.04.2019 से जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभिंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ की जांच आख्या दि0 11.04.2019 में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया परन्तु शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत निर्माण कार्य तत्का0 जिलाधिकारी, सुलतानपुर के मौखिक आश्वासन के परिपालन में तत्कालीन अधिशासी अभियंता, श्री जिलेदार खॉ, सहायक अभियंता, श्री राजकुमार वर्मा (सेवानिवृत्त) व तत्का0 अवर अभियंता, श्री एम0के0 सिंह द्वारा कराया गया था। चूंकि पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत निर्माणाधीन कार्य क्रिटिकल गैप्स योजनान्तर्गत कराया जा रहा था ऐसे में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी के आदेशों का अवहेलना न करते हुये उनके मौखिक आदेशों पर अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति कालान्तर में प्राप्त हो जाने की प्रत्याशा में कराया गया था। उपरोक्तानुसार जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-लखनऊ की जांच आख्या दिनांक 11.04.2019 से इतर मत रखते हुये उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के पत्र दि0 16.04.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 14.05.2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप सं0-1, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरोप संख्या-1

जनपद सुलतानपुर के कार्यकाल के दौरान सीताकुण्ड घाट के चौडीकरण/सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु पूंजीगत विकास निर्माण योजना में सवीकृत के सापेक्ष गठ्ति अनुबंध सं0-02 दिनांक 10.04.2013 द्वारा मु0 रू0 9,94,393.00 एवं अनुबंध सं0-74/दि0 19.09.2013 द्वारा मु0 रू0 9,89,540.00 के सापेक्ष श्री विजय कुमार टण्डन द्वारा कार्य कराये जाने के दौरान जिलाधिकारी, सुलतानपुर के दिनांक 17.10.2013 के स्थलीय निरीक्षण में घाट की दायीं ओर अतिक्रमण को देखते हुये मौखिक निर्देश व वार्ता के क्रम में घाट के दाहिनी ओर चौडीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य मु0 रू0 24.20 लाख का प्रारम्भिक प्राक्कलन गठित कर उपजिलाधिकारी, सुलतानपुर को प्रेषित किया गया, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी के स्तर से प्राप्त नही हुई। ठेकेदार द्वारा कराये गये अतिरिक्त कार्य्र का भुगतान नही हो सका। सहायक अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र सं0-424 दिनांक 21.07.2014 व अवर अभियंता द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार उक्त कार्य ठेकेदार श्री विजय कुमार टण्डन द्वारा कराया गया है। पत्रावली से स्पष्ट है कि आपके कार्य्रकाल में बिना सक्षम स्तर से लिखित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, बिना धनराशि आवंटित हुये तथा बिना अनुबंधगठित किये ही उक्त अनियमिततापूर्ण कार्य कराये गये है जिसके लिये आपको गम्भीर वित्तीय अनियमितता व लापरवाही के लिये आरोपित किया जाता है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रखण्ड-सुलतानपुर में उनका कार्यकाल तीन चरणों में था। प्रथम (दि0 20.04.2013 से 07.08.2014 तक) द्वितीय (दि0 27.08.2015 से 12.07.2016 तक) व तृतीय (दि0 29.05.2017 से 03.06.2017 तक)। प्रखण्ड-सुलतानपुर से निर्गत पत्रांक-424/दि0 21.07.2014 (आरोप पत्र का साक्ष्य) जिसके द्वारा जिलाधिकारी, सुलतानपुर से उनके मौखिक निर्देशों के क्रम में घाट के चौडीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के क्रम में धनाभाव के कारण संबंधित ठेकेदार को भुगतान न किये जाने की स्थिति से अवगत कराते हुये जिलाधिकारी, सुलतानपुर से धन आवंटन का अनुरोध किया गया है के संबंध में उल्लिखित किया गया है कि उक्त पत्र दि0 21.07.2014 जो उनके कार्यकाल दिनांक 07.08.2014 को समाप्त होने की तिथि से पूर्व निर्गत किया गया है, इसी के द्वारा दुरभिसंधि व ठेकेदार की बातों में आकर बैकडेट में उक्त पत्र निर्गत दिखाया गया है। उक्त संदर्भित पत्र के मात्र हस्ताक्षर ही नही वरन डिस्पैच नम्बर पर किये गये ओवर राइटिंग से संशय की स्थिति बनती है। उनके द्वारा जिलाधिकारी, सुलतानपुर को निरीक्षण के दौरान दिये गये मौखिक निर्देशों के क्रम में मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार कर उपजिलाधिकारी, सुलतानपुर को प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति न प्राप्त होने की स्थिति में कार्य कराये जाने का प्रश्न ही नही उठता है। जिलाधिकारी, सुलतानपुर के पत्र दि0 28.02.2018 जो प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन को संबोधित है में भी प्रश्नगत निर्माण कार्य के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये जाने का कही भी उल्लेख नही किया गया है। ठेकेदार द्वारा भी भुगतान की मांग जिलाधिकारी स्तर पर की गयी है न कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के किसी अधिकारी/ कर्मचारी से की गयी है, से स्पष्ट है कि उक्त कार्य कराये जाने से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का कोई संबंध नही है।

जांच अधिकारी की जांच आख्या/निष्कर्ष-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0 लखनऊ द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री जिलेदार खां के बचाव उत्तर से सहमत व्यक्त करते हुये उन पर अधिरोपित आरोप सं0-1 स्थापित न होना उल्लिखित किया गया था।

आरोप सं0-2

जनपद सुलतानपुर के कार्यकाल के दौरान पूंजीगत विकास निर्माण योजनान्तर्गत सीताकुण्ड घाट के दाहिनी ओर कराये गये घाट के चौडीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य जिलाधिकारी, सुलतानपुर के मौखिक निर्देशों के क्रम में संबंधित ठेकेदार द्वारा मु0 रू0 24.20 लाख का कार्य बिना किसी अनुबंध गठन के अथवा बिना स्वीकृति धनराशि के कराया गया। आपका दायित्व था कि आप सक्षम स्तर से स्वीकृति तथा कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य कराते। इस प्रकार कार्य की प्रति आपकी उदासीनता/लापरवाही तथा अपने दायित्वों से विमुकत होकर कार्य कराया गया, जो उ0प्र0 कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 सामान्य (1) (2) का उल्लंघन है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप सं0-1 के संबंध में दिये गये बचाव उत्तर के आधार पर ही आरोप सं0-2 में भी उन्हें दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया था।

जांच अधिकारी की जांच आख्या/निष्कर्ष

जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0 लखनऊ द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री जिलेदार खां के बचाव उत्तर से सहमत व्यक्त करते हुये उन पर अधिरोपित आरोप सं0-2 स्थापित न होना उल्लिखित किया गया था। परन्तु शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त आरोप सं0-1 व 2 के संबंध में यह पाया गया कि प्रश्नगत निर्माण कार्य तत्का0 जिलाधिकारी, सुलतानपुर के मौखिक आश्वासन के परिपालन में तत्कालीन अधिशासी अभियंता, श्री जिलेदार खॉ, सहायक अभियंता, श्री राजकुमार वर्मा (सेवानिवृत्त) व तत्का0 अवर अभियंता, श्री एम0के0 सिंह द्वारा कराया गया था। चूंकि पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत निर्माणाधीन कार्य क्रिटिकल गैप्स योजनान्तर्गत कराया जा रहा था ऐसे में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी के आदेशों का अवहेलना न करते हुये उनके मौखिक आदेशों पर अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति कालान्तर में प्राप्त हो जाने की प्रत्याशा में कराया गया था। उपरोक्तानुसार जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, परि0-लखनऊ की जांच आख्या दिनांक 11.04.2019 से इतर मत रखते हुये उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के पत्र दि0 16.04.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 14.05.2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारीके पत्र दि0 14.05.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-लखनऊ को पूर्व में दिये गये बचाव उत्तर के अतिरिक्त किसी ऐसे नवीन तथ्य का उल्लेख नही किया गया कि जिससे शासन द्वारा जांच आख्या के परीक्षणोपरांत पायी गयी अनियमितता हेतु अपचारी अधिकारी श्री जिलेदार खां के उत्तरदायित्व के संबंध में किसी प्रकार का विचलन किया जा सके।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह पाया गया कि जनपद सुलतानपुर में सीताकुण्ड घाट के दाहिनी ओर घाट के चौडीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य मात्र जिलाधिकारी के मौखिक निर्देशों के क्रम में बिना प्रशासनिक एवं विततीय स्वीकृति के कराया गया। अपचारी अधिकारी, श्री जिलेदार खॉ उक्त वितीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी पाये गये है। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री जिलेदार खॉ, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति संतकबीर नगर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.11.2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

"ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर में सीताकुण्ड घाट के दाहिनीं ओर घाट के चौडीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य बिना सक्षम स्तर के प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना कराये जाने की गम्भीर अनियमितता हेतु श्री जिलेदार खां, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति प्रखण्ड-संतकबीर नगर को वर्ष 2019-20 के लिये **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-95/2019/090/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शासन के पत्र सं0-2961/92-2-18-51एम/2018 दि0 20.11.2018 द्वारा प्रकरण में अंतर्ग्रस्त श्री एम0के0 सिंह तत्का0 अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-सुलतानपुर के विरूद्ध लिये गये निर्णय से ग्रामीण अभियंत्रण अनु0-1 व 2 को अविलम्ब अवगत करायें ताकि ग्रामीण अभियंत्रण अनु0-1 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी को पत्रावली पर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना संभव हो सके।

2- श्री जिलेदार खॉ, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति-प्रखण्ड- संतकबीरनगर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि आपकी पत्रावली सं0-65एम/2017 के पृष्ठ सं0-34 पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में वस्तुस्थिति से मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in